

03/03/25

पञ्जावली आज पेश हुई। वकील प्राची
उपरोक्त मूल वसूली का निष्कारण होने से
हस्तगत आवेदन का कोई औचित्य
नहीं रह गया है। अतः हस्तगत
आवेदन खारिज किया जाना है।
पञ्जावली कलाल सुमार होकर दाखल
दालत है।

Adv. J.R.